Te Aka Matua o te Ture
Law Commission

Hara Ngākau Kino | घृणा संबंधी अपराध की समीक्षा

संदर्भ की शर्तें

परियोजना का अवलोकन

Te Aka Matua o te Ture | कानून आयोग इस बात पर ध्यान देते हुए Aotearoa न्यूजीलैंड में घृणा से संबंधित अपराध के लिए कानून की समीक्षा करेगा कि क्या नए घृणा से प्रेरित अपराधों का निर्माण करने के लिए कानून को बदला जाना चाहिए। इस समीक्षा के उद्देश्य के लिए, "घृणा संबंधी अपराध" का मतलब ऐसा बर्ताव है जो न्यूजीलैंड के कानून के तहत पहले से ही एक अपराध है और, इसके अलावा, समान विशेषता (जैसे कि नस्ल, वर्ण, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग या सेक्स, लिंग, लैंगिक अभिविन्यास, आयु या विकलांगता) साझा करने वाले लोगों के किसी समूह के प्रति घृणा या विद्वेष के कारण अंजाम दिया जाता है।

फिलहाल, Aotearoa न्यूजीलैंड का कानून घृणा से उत्पन्न अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी "चिरस्थायी समान विशेषता" साझा करने वाले लोगों के समूह के प्रति दुश्मनी के कारण अपराध करता है, तो (सेंटेंसिंग एक्ट 2002 की धारा 9(1)(h) देखें) अदालत को इसे सजा सुनाते समय एक उत्तेजक कारक मानना चाहिए।

15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च मस्जिद पर हुए आतंकवादी हमले की पूछताछ करने वाले शाही आयोग की रिपोर्ट ने घृणा से प्रेरित नए अपराधों की रचना की सिफारिश की थी। खासतौर पर, सिफारिश संख्या 39 ने प्रस्तावित किया कि घृणा से प्रेरित नए अपराधों की रचना निम्नलिखित में करनी चाहिए:

(a) समरी ऑफेसेज़ एक्ट 1981 (जो विद्वेषपूर्ण बर्ताव या भाषा, हमले, जानबूझकर की गई क्षति और धमकाने के मौजूदा अपराधों से संबंधित है); और

(b) क्राइम्स एक्ट 1961 (हमलों, आगजनी और जानबूझकर की गई क्षति से संबंधित है)।

समीक्षा का दायरा

कानून आयोग की समीक्षा में निम्नलिखित पर विचार होगा, लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं है:

(a) क्या Aotearoa न्यूज़ीलैंड का वर्तमान कानून घृणा से उत्पन्न अपराध पर पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया करता है (खास तौर पर सेंटेंसिंग एक्ट 2002 की धारा 9(1)(h), जो किसी अपराधी को सजा सुनाते समय शत्रुतापूर्ण प्रेरणा को ध्यान में रखना आवश्यक करता है)।

(b) क्या वर्तमान कानून के परिचालन के बारे में किसी भी चिंता को वैधानिक (या परिचालनात्मक) उपायों, उदाहरण के लिए, घृणा से प्रेरित अपराधों की रचना के माध्यम से संबोधित करना चाहिए।

(c) यदि घृणा से प्रेरित अपराधों की रचना करनी चाहिए तो:

   (i) उन्हें किन मौजूदा अपराधों से संबंधित होना चाहिए;

   (ii) उन्हें किन समान विशेषताओं को कवर करना चाहिए;

   (iii) अपराधों के घृणा या विद्वेष से संबंधित तत्व को कैसे स्थापित करना चाहिए;

   (iv) कौन से अधिकतम जुर्माने उपयुक्त हैं; और

   (v) क्या नए अपराधों को शामिल करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों को समुचित रूप से सजा दी जाए सेंटेंसिंग एक्ट में कोई संशोधन वांछित हैं।

सुधार के लिए सिफारिशें करते समय कानून आयोग te ao Māori को ध्यान में रखेगा और न्यूज़ीलैंड समाज के बहुसांस्कृतिक स्वरूप पर विचार करेगा।

समीक्षा द्वारा ऐसे बर्ताव को आपराधिक जामा पहनाने पर विचार नहीं किया जाएगा जिन्हें फिलहाल न्यूज़ीलैंड कानून के तहत अपराध नहीं माना जाता है। संदेह से बचने के लिए, समीक्षा द्वारा 15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च मस्जिद पर आतंकवादी हमले पर शाही पूछताछ आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 40 और 41 पर विचार नहीं किया जाएगा, जिनका संबंध निम्नलिखित से है:

(a) मानव अधिकार एक्ट 1993 की धारा 61 और 131 सहित, घृणा का उपयोग करके भड़काने वाले भाषण से संबंधित कानून; और

(b) इस बात की परिभाषा कि फिल्म, वीडियो, और प्रकाशन वर्गीकरण एक्ट 1993 की धारा 3 में कोई प्रकाशन कब "आपत्तिजनक" माना जाता है।

समय और प्रक्रिया

कानून आयोग का इरादा 2025 के आरंभ में सार्वजनिक परामर्श करने का है।

कानून आयोग का इरादा 2026 के मध्य तक कानून आयोग के लिए जिम्मेदार मंत्री को अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट देने का है।

कानून आयोग का परिचय

कानून आयोग एक स्वतंत्र क्राउन एजेंसी है जो सरकार को कानून सुधार संबंधी सलाह प्रदान करती है। सरकार यह निर्देश नहीं देती है कि हमें अपना काम कैसे करना चाहिए या कैसी सिफारिशें देनी चाहिए।

हम अनुसंधान और संलिप्तता को अमल में लाते हैं, औऱ फिर कानून में सुधार करने के लिए सरकार को सिफारिश करते हैं। इन सिफारिशों को न्याय मंत्रालय के लिए एक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। मंत्री को हमारी रिपोर्ट पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए।

सरकार फैसला करती है कि क्या कानून को बदलना चाहिए और यह कार्य कैसे करना चाहिए। हमारे कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया कानून आयोग की वेबसाइट पर जाएं।